न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2022 **दायर दिनांकः 13/01/2022**

उनवान

1. राजाराम आयु 50 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति माली निवासी कुन्जैड तहसील अटरू हाल निवासी खेडली जागीर तहसील बारां जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थीः–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 29/06/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल कुन्जैड पटवार हल्का कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 36 का ख0नं0 526 का रकबा 0.41 है0, खाता संख्या 37 का ख0 नं0 1513 का रकबा 0.23 है0, खाता संख्या 187 का ख0नं0 427 का रकबा 0.38 है0, खाता संख्या 211 का ख0 नं0 1233 का रकबा 0.41 है0, ख0नं0 1235 का रकबा 0.47 है0, ख0 नं0 1236 का रकबा 0.80 है0, ख0नं0 1250 का रकबा 2.66 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 4.34 है0 आराजी प्रार्थी के पिता एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबंदी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण गलत दर्ज हो रहा है जबकि सही नाम रामकल्याण है तथा प्रार्थी के पिता की जाति भील दर्ज हो रही है जबकि सही जाति माली है। खाता संख्या 37 में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकल्याण है व जाति माली सही दर्ज हो रही है। खाता संख्या 187 में प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण सही दर्ज हो रहा है परन्तु जाति भील गलत दर्ज हो रहा है

जबकि सही जाति माली है। खाता संख्या 211 में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण एवं जाति भील गलत दर्ज हो रहे है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकल्याण व सही जाति माली है। इसलिए उपरोक्त सभी खातों खाता संख्या 36, 37, 187, 211 में प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकल्याण व सही जाति माली दर्ज किया जावे। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत मियाडा के प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण व जाति माली सही दर्ज है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 31/12/2015 को हो चुकी है जिसका नामान्तकरण नाम व जाति में त्रुटि होने के रामकल्याण के वारिसान के पक्ष में नहीं खोला जा रहा है। इसलिए प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण के स्थान पर सही नाम रामकल्याण व प्रार्थी के पिता की जाति भील के स्थान पर माली दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम व जति सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा उनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण के स्थान पर सही नाम रामकल्याण तथा प्रार्थी के पिता की जाति भील के स्थान पर माली दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण के स्थान पर सही नाम रामकल्याण व जाति भील के स्थान पर माली दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। तहसीलदार अटरू द्वारा जांच रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2079 खाता संख्या 36 ख0नं0 526 रकबा 0.41 है0 कल्याण पुत्र औकार हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 37 ग्राम कुन्जेड ख0नं0 1513 रकबा 0.23 है0 कल्याण पुत्र औकार जाति

माली सा. देह खातेदार तथा ख0नं0 427 रकबा 0.38 है0 रामकल्याण पुत्र औकार हि0 1/10 जाति भील सा. देह खातेदार तथा खाता संख्या 211 ख0नं0 1233/0.41, 1235/0.47, 1236/0.80, 1250/2.66 किता 4 रकबा 4.34 है0 कल्याण पुत्र औकार हि0 241/641 जाति भील सा. दहे खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बिन्दु संख्या 2 के अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजी मे प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण गलत दर्ज हो रहा है जबकि सही नाम रामकल्याण है तथा प्रार्थी के पिता की जाति भील दर्ज हो रही है। जबकि सही जाति माली है। प्रार्थी के दस्तावेज, आधारकार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मियाडा के है। तथा प्रार्थी के द्वारा खाता संख्या 37 में खातेदार द्वारा फौती नामान्तरण हेतु ग्राम मियाडा पटवार मण्डल की वारिसान जांच रिपोर्ट संलग्न है। अतः प्रार्थी सलग्न दस्तावेजों के आधार पर माननीय न्यायालय में स्वयं साबित करें कि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकल्याण तथा सही जाति माली है।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये। राजाराम पुत्र रामकल्याण जाति माली निवासी कुन्जैड तहसील अटरू हाल निवासी खेडी जागीर तहसील बारां जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ बयान लेखबद्ध किये गये। राजाराम ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल कुन्जैड पटवार हल्का कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 36 का ख0नं0 526 का रकबा 0.41 है0, खाता संख्या 37 का ख0 नं0 1513 का रकबा 0.23 है0, खाता संख्या 187 का ख0नं0 427 का रकबा 0.38 है0, खाता संख्या 211 का ख0 नं0 1233 का रकबा 0.41 है0, ख0नं0 1235 का रकबा 0.47 है0, ख0 नं0 1236 का रकबा 0.80 है0, ख0नं0 1250 का रकबा 2.66 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 4.34 है0 आराजी मेरे पिता एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में मेरे पिता का नाम कल्याण गलत दर्ज हो रहा है जबकि सही नाम रामकल्याण है तथा मेरे पिता की जाति भील दर्ज हो रही है जबकि सही जाति माली है। खाता संख्या 37 में मेरे पिता का नाम कल्याण गलत दर्ज हो रहा है जबकि मेरे पिता का सही नाम रामकल्याण है व जाति माली सही दर्ज हो रही है। खाता संख्या 187 में मेरे पिता का नाम रामकल्याण सही दर्ज हो रहा है परन्तु जाति भील गलत दर्ज हो रहा है जबकि सही जाति माली है। खाता संख्या 211 में मेरे पिता का नाम कल्याण एवं जाति भील गलत दर्ज हो रहे है जबकि मेरे पिता का सही नाम रामकल्याण व सही जाति माली है। इसलिए उपरोक्त सभी खातों खाता संख्या 36, 37, 187, 211 में मेरे पिता का सही नाम

रामकल्याण व सही जाति माली दर्ज किया जावे। मेरे दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत मियाडा के प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण व जाति माली सही दर्ज है।

जानकी बाई पुत्री औकार जाति माली निवासी कुन्जेड तहसील अटरू हाल निवासी बमुलिया जागीर तहसील बारां का शपथ पत्र पेश किया गया । साक्ष्यवादी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल कुन्जैड पटवार हल्का कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 36 का ख0नं0 526 का रकबा 0.41 है0, खाता संख्या 37 का ख0 नं0 1513 का रकबा 0.23 है0, खाता संख्या 187 का ख0नं0 427 का रकबा 0.38 है0, खाता संख्या 211 का ख0 नं0 1233 का रकबा 0.41 है0, ख0नं0 1235 का रकबा 0.47 है0, ख0 नं0 1236 का रकबा 0. 80 है0, ख0नं0 1250 का रकबा 2.66 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 4.34 है0 आराजी प्रार्थी के पिता एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण गलत दर्ज हो रहा है जबकि सही नाम रामकल्याण है तथा प्रार्थी के पिता की जाति भील दर्ज हो रही है जबकि सही जाति माली है। खाता संख्या 37 में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकल्याण है व जाति माली सही दर्ज हो रही है। खाता संख्या 187 में प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण सही दर्ज हो रहा है परन्तु जाति भील गलत दर्ज हो रहा है जबकि सही जाति माली है। खाता संख्या 211 में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण एवं जाति भील गलत दर्ज हो रहे है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामकल्याण व सही जाति माली है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण के स्थान पर सही नाम रामकल्याण व जाति भील के स्थान पर माली दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

4. अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण के स्थान पर सही नाम रामकल्याण व जाति भील के स्थान पर माली दर्ज किया जावे।

5. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। संवत 2074–2077 की ग्राम कुन्जेड की जमाबन्दी (प्रदर्श 1) के खाता संख्या 36 किता 1 रकबा 0.41 है0 आराजी खातेदार कल्याण पुत्र औंकार जाति भील के दर्ज खाता है। जमाबन्दी (प्रदर्श 2) खाता

संख्या 37 रकबा 0.23 है0 आराजी कल्याण पुत्र ओकार जाति माली के दर्ज है। जमाबन्दी (प्रदर्श 3) खाता संख्या 187 किता 1 रकबा 0.38 है0 आराजी के शामलाती खाते में प्रार्थी का नाम रामकल्याण पुत्र औंकार हिस्सा 1/10 जाति भील दर्ज है। जमाबन्दी (प्रदर्श 4) खाता संख्या 211 किता 4 रकबा 4.34 है0 आराजी के शामलाती खाते में प्रार्थी का नाम कल्याण पुत्र औंकार जाति भील दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श 5 ए) में प्रार्थी के पिता का नाम राम कल्याण पुत्र ओकार लाल अंकित है। प्रार्थी के आधार कार्ड (प्रदर्श 7ए) में नाम राजा राम पुत्र रामकल्याण, राशन कार्ड (प्रदर्श 8ए) में राजाराम पुत्र राम कल्याण, आयकर विभाग के पेन कार्ड (प्रदर्श 9ए) में राजाराम सुमन पुत्र राम कल्याण सुमन, जन आधार में प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण दर्ज है। ग्राम पंचायत मियाडा के प्रमाण पत्र (प्रदर्श 6) के अनुसार रामकल्याण पुत्र औंकार व कल्याण पुत्र औंकार दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है तथा इनकी जाति माली होना बताया है। प0म0 मियाडा तहसील बारां की जांच रिपोर्ट अनुसार मृतक कल्याण पुत्र औंकार माली के अनुसार 3 वारिस राजाराम पुत्र, सुगना व कन्याबाई पुत्रियां होना बताया है।

उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि विवादित आराजी के खातेदार रामकल्याण व कल्याण दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है और इनकी जाति माली है।

6. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कुन्जैड पटवार हल्का कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 36 का ख0नं0 526 का रकबा 0.41 है0 आराजी में खातेदार कल्याण पुत्र ओंकार जाति भील के स्थान पर रामकल्याण पुत्र औंकार जाति माली, खाता संख्या 37 का ख0 नं0 1513 का रकबा 0.23 है0 आराजी में खातेदार कल्याण पुत्र ओंकार के स्थान पर रामकल्याण पुत्र औंकार, खाता संख्या 187 का ख0नं0 427 का रकबा 0.38 है0 आराजी के सहखातेदार रामकल्याण पुत्र ओंकार जाति भील के स्थान पर रामकल्याण पुत्र औंकार जाति माली, खाता संख्या 211 का ख0 नं0 1233 का रकबा 0.41 है0, ख0नं0 1235 का रकबा 0.47 है0, ख0 नं0 1236 का रकबा 0.80 है0, ख0नं0 1250 का रकबा 2.66 है0 कुल किता

4 का कुल रकबा 4.34 है0 आराजी में सहखातेदार कल्याण पुत्र औंकार जाति भील के स्थान पर रामकल्याण पुत्र औंकार जाति माली राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां